

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्र : राजस्व/खाला/26/1829

दिनांक :- 6.2.2024

आदेश

अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 जनरल (कॉलोनी कंडीशन्स 8(1)RCA 1954)

प्रार्थी रणदीप कुमार, सन्दीप कुमार पुत्रगण दर्शन सिंह उर्फ दर्शनराम जाति ब्राह्मण  
सि बोलावाली तहसील संगरिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 7 एएमपी प.न. 161/152  
मु.न. 22 किला नम्बर 23/2, 24/2, 25/2 गै.मु. खाला के स्थान पर खातेदारी अंकन किये  
के हेतु निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पर तहसीलदार संगरिया ने अपने पत्रांक ए.2/डी/खा-रा/बा-नह  
मु.न. 22 किला नम्बर 23/2/0.025 गै.मु.खाला 24/2/0.025 गै.मु.खाला 25/2/0.025 गै.मु. खाला गै.मु.खाला  
राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन मौके पर उक्त किलो में खाला चलायमान नहीं होना बतलाते  
उक्त गै.मु.खाला का निरस्त कर मुमकिन दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गई एवं अधिशाषी  
अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ ने अपने पत्रांक 601 दिनांक 19.06.2023 द्वारा  
चक 7 एएमपी प.न. 161/152 के किला नं. 23,24,25 में जलमार्ग नहीं चल रहा है न ही उक्त  
बे पर किसी भी न्यायालय में आज दिनांक तक कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होना बतलाते  
अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अतः उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया उक्त गै.मु. प्रश्नगत  
जलमार्ग का संबधित काश्तकार के नाम नियमानुसार बकाया रकम आदि कोई शेष हो तो जमा  
करने के बाद में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।



(जय कौशिक)  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

दिनांक :- 6.2.2024

क्रांक :- सम/1830

तिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार भू-अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर  
तत्काल रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़।
3. श्री.....।



उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया